पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्रमांक 10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 की कंडिका क्रमांक 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 13 जनवरी 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 04 के परिपालन में ''प्रदेश की जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश'' करता है.

अत: यह निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे.

अरविंद दुबे, उपसचिव.

प्रदेश के जल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश

1. पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 13.3 के अन्तर्गत प्रदेश के जल क्षेत्रों में निजी निवेशकों को हाऊस बोट, क्रूज, मोटर बोट एवं अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियों, गतिविधियों के लिये लायसेंस देने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को अधिकृत किया गया है.

2. सर्वप्रथम, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा ऐसे, ऐसे जल क्षेत्र का अनुमोदन किया जायेगा, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लायसेंस देने के लिए अधिकृत होगा. अधिसूचित जल क्षेत्र की सूची, सूची का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की वेबसाईट पर किया जायेगा एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा.

3. ऐसे अधिसूचित जल क्षेत्र में वहन क्षमता (Carrying Capacity) का अध्ययन एवं गणना करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा. एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन साधिकार समिति के अवलोकनार्थ रखा जायेगा. जिसके आधार पर साधिकार समिति यथोचित निर्णय ले सकेगी.

4. चूंकि अधिसूचित जल क्षेत्रों में प्रारंभ से ही बहुत बड़े स्तर पर पर्यटन गतिविधियां संचालित होना संभावित नहीं है. अत: जल क्षेत्र के वहन क्षमता (Carrying Capacity) के अध्ययन प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने तक लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं होगी एवं इन निर्देशों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर प्रक्रिया अनुसार लायसेंस जारी किये जा सकेंगे.

5. अधिसूचित जल क्षेत्रों में जल पर्यटन संबंधी विभिन्न गतिविधियों में निवेश, निवेश करने हेतु निजी निवेशकों को आमंत्रित करने बावत् सार्वजनित सूचना, विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से जारी की जायेगी.

6. इच्छुक निवेशकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में निवेश की अभिरूचि (Intention to Invest) हेतु आवेदन किया जायेगा. इस हेतु आवश्यक जानकारी सहित आवेदन, आवेदन का प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा. यथासंभव आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी ऑनलाईन होगी. आवेदन के साथ रुपये दो हजार का आवेदन शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा.

7. प्राप्त आवेदनों पर सात कार्य दिवस के भीतर निगम द्वारा परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा. स्वीकृति की दशा में आवेदक को अभिस्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) दिया जायेगा, जिसका प्रारूप निगम द्वारा निर्धारित किया जायेगा.

8. निवेशक द्वारा हाउस बोट, क्रूज, मोटर बोट एवं अन्य प्रकार के नावों हेतु लायसेंस चाहे जाने की दशा में Indian Register of Shipping (IRS) का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा Indian Register of Shipping (IRS) तथा इसकी सहयोगी संस्था (IR Class systems and Solution Pvt. Ltd, (ISSPL) संयुक्त रूप से IR Class ब्रांड के अधीन सर्वेक्षण, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की सेवायें प्रदान करती हैं.

9. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा Indian Register of Shipping के साथ सहयोग करने हेतु M.O.U. हस्ताक्षरित किया जायेगा.

10. नावों के अतिरिक्त अन्य उपकरणों यथा Adventure sports/Water Sports जैसे Parasailing zorbing, banana ride आदि के लिये सुसंगत राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय मानक के अनुरूप होने की अनिवार्यता होगी.

11. लायसेंस प्राप्त नाव अथवा अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियों को संचालित करने, करने के लिये आवश्यक मानव संसाधन का प्रशिक्षण National Institute of Water Sports (NIWS) गोवा अथवा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा चयनित किसी अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की संस्था से कराया जाना अनिवार्य होगा.

12. अभिस्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) जारी करने के पश्चात् बड़ी नावों की आपूर्ति के लिए एक वर्ष तथा छोटी नावों की आपूर्ति के लिए 6 माह की समयावधि दी जायेगी, जिसके अन्तर्गत Indian Register of Shipping (IRS) से प्रमाणित नौकाओं के लायसेंस हेतु आवेदन किया जाना होगा, जिस पर निगम द्वारा लायसेंस जारी किया जायेगा बड़ी नावों से तात्पर्य चार सीटर से अधिक क्षमता वाली अथवा सभी motorised boats से है. छोटी नावों से तात्पर्य non-motoriesed एवं चार सीटर तक की क्षमता वाली नावों से है.

13. लायसेंस का प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा. लायसेंस में संबंधित नौका का विवरण एवं प्रमाणीकरण सहित नौका पर कुल अनुमत्य पर्यटकों की संख्या, प्रशिक्षित नाविकों की अनिवार्यता, थर्ड, थर्ड पार्टी बीमा (Insurance) सुरक्षा के उपाय यथा Life Jackets, lifebuoy आदि की अनिवार्यता का विवरण अंकित होगा. बांधों की सुरक्षा संबंधी निर्देश, प्राकृतिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़ आदि की स्थिति में दायत्वि आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, तथा लायसेंस की शर्तों में बांधों की सुरक्षा से संबंधी निर्देश, प्राकृतिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़ आदि की स्थिति में आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये.

14. बड़ी नौकाओं के लिए लायसेंस शुल्क रुपये पचास हजार तथा छोटी नौकाओं के लिये रुपये दस हजार होगा. लायसेंस का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जायेगा जोकि Indian Register of Shipping के प्रमाणीकरण के उपरान्त होगा. नवीनीकरण के लिए शुल्क बड़ी नौकाओं के लिए रुपये पच्चीस हजार एवं छोटी नौकाओं के लिये रुपये पांच हजार होगा.

15. निवेशकों को लायसेंस प्राप्ति के पूर्व पर्यटकों के लिये थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस कराना अनिवार्य होगा.

16. नौका तथा जलक्रीड़ा की अन्य सुविधाएं, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के बोट क्लब एवं जेट्टी से संचालित करने की दशा में पर्यटकों से लिये जाने वाले शुल्क एवं टिकिट की व्यवस्था केन्द्रीकृत होगी. एक से अधिक ऑपरेटर द्वारा सुविधाएं दिये जाने की स्थिति में रोस्टर के निर्धारण की प्रक्रिया निगम द्वारा अपनायी जायेगी. एक जैसी गतिविधियों/सुविधाओं के लिये टिकिट, टिकिट की दरें समान होगी.

17. विशिष्ट गतिविधियों/सेवाओं के लिये टिकिट की दरें निर्धारित करने के लिये निजी संचालक स्वतंत्र होगा.

18. निवेशक द्वारा नौका अथवा जलक्रीड़ा संबंधी गतिविधियां संचालित करने के लिये स्वयं के बोट क्लब अथवा जेट्टी का निर्माण करने की स्थिति में टिकिट की दरें एवं विक्रय की उचित व्यवस्था करने के लिए वह स्वतंत्र होगा.

19. निजी जेट्टी/बोट क्लब के निर्माण की स्थिति में आपात परिस्थितियों में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका उपयोग किया जा सकेगा. इस शर्त का स्पष्ट उल्लेख लायसेंस में किया जायेगा.

20. निगम द्वारा अधिकृत व्यक्तियों/Indian Register of Shipping द्वारा अधिकृत सर्वेयर द्वारा नौका तथा जलक्रीड़ा उपकरणों का सभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रति उल्लंघन पर रुपये पांच हजार की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी एवं लायसेंस अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकेगा. उल्लंघन के निराकरण के उपरान्त निलंबन समाप्त किया जा सकेगा.

21. लायसेंस की शर्तों का तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर लायसेंस का निरस्तीकरण किया जा सकेगा.

22. लायसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण के उपरान्त भी संचालक द्वारा नौका या जलक्रीड़ा उपकरणों का उपयोग कर पर्यटकों को जल पर्यटन कराने पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी.

23. लायसेंस की स्वीकृति निलंबन अथवा निरस्तीकरण से संबंधित किसी आदेश के विरुद्ध सचिव, पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन अंतिम निर्णय करने के लिए अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा. सचिव, पर्यटन विभाग तथा प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रभार एक ही व्यक्ति के पास होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा अधिकृत कोई अन्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन अपील की सुनवाई करेंगे, तथा उनका निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा.

24. निगम को प्राप्त आवेदन शुल्क, लायसेंस शुल्क, शास्ति से प्राप्त होने वाली राशि आदि मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति-2016 की कंडिका 9.8 के अंतर्गत गठित पृथक् मद में जमा की जायेगी.

25. जल पर्यटन हेतु उपरोक्तानुसार निर्देशों के पालन एवं नियमन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होंगे.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्रमांक 10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 की कंडिका क्रमांक 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 13 जनवरी 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 05 के परिपालन में प्रदेश की जल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नानुसार जल क्षेत्रों की सूची अधिसूचित करता है.

अरविंद दुबे, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा लायसेंस देने के लिए अधिकृत जल क्षेत्रों की सूची

1. इंदिरा सागर बांध का जल क्षेत्र (नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
2. ओंकारेश्वर बांध का जल क्षेत्र (नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
3. तवा बांध का जल क्षेत्र (तवा, देनवा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
4. बरगी बांध का जल क्षेत्र (नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
5. बाणसागर बांध का जल क्षेत्र (सोन एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
6. गांधीसागर बांध का जल क्षेत्र (चम्बल एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
7. मणीखेडा बांध का जल क्षेत्र (सिंध एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
8. हलाली बांध का जल क्षेत्र (हलाली एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
9. चांदपाठा बांध (जिला शिवपुरी) का जल क्षेत्र
10. ओरछा के निकट प्रवाहित बेतवा नदी का जल क्षेत्र
11. चौरल बांध का जल क्षेत्र (चौरल एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
12. गंगऊ बांध का जल क्षेत्र (केन एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
13. बारना बांध का जल क्षेत्र (बारना एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
14. मान बांध (धार) के जल क्षेत्र
15. मान नदी एवं सहायक नदियों सहित तथा जोबट फाटा बांध (अलीराजपुर) के जल क्षेत्र
16. हथनी नदी एवं सहायक नदियों के जल क्षेत्र.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनाकं 5 अगस्त 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 06 के पारिपालन में प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश में संशोधनों को अधिसूचित करता है.

उक्त निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे.

प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी संशोधित निर्देश

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10-62-2016-33, दिनांक 28 फरवरी 2017 की कंडिका क्रमांक 08 एवं कंडिका 14 में निम्नानुसार अतिरिक्त पैराग्राफ जोड़ा गया है:—

1. निवेशक द्वारा Indian Register of Shipping (IRS) के अलावा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणीकरण एजेन्सी के चयन/अनुमोदन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा.

2. लायसेंस मूलत: 10 वर्ष के लिए होगा. इस हेतु प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्क तथा Indian Register of Shipping (IRS)/ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा प्रमाणीकरण भी प्राप्त किया जावेगा.

क्र. एफ-10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 5 अगस्त 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 06 के परिपालन में प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश के अन्तर्गत जल क्षेत्रों की संशोधित सूची अधिसूचित करता है.

उक्त निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे.

मध्यप्रदेश जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने हेतु अधिकृत जल क्षेत्रों की संशोधित सूची

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10-62-2016-33, दिनांक 28 फरवरी 2017 में वर्णित लायसेंस हेतु अधिकृत जल क्षेत्रों की सूची में निम्नानुसार 3 नये जल क्षेत्र जोड़े गए हैं:—

1. धोलाबाड़ जलाशय का जल क्षेत्र रतलाम (जामड़ नदी एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
2. तिघरा जलाशय का जल क्षेत्र, ग्वालियर.
3. किशनपुरा जलाशय का जल क्षेत्र, बेटमा, इन्दौर.

पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.